संख्याः–3372/XVIII(II)/2009–1(64)/09

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 03 नवम्बर 2009

विषयः–**श्री महताब आलम पुत्र स्व0 श्री अब्दुल जब्बार प्रोपराईटर मै0 इली फार्मास्यूटिकल्स निवासी बुलन्द शहर को आयुर्वैदिक दवाइयों के निर्माण हेतु ग्राम सिसौना मु0, परगना भगवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार में कुल 0.2740 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1582/भूमि व्यवस्था–भू0क्र0/09–10, दिनांक रहित के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री महताब आलम पुत्र स्व0 श्री अब्दुल जब्बार प्रोपराईटर मै0 इली फार्मास्यूटिकल्स निवासी बुलन्द शहर को आयुर्वैदिक दवाइयों के निर्माण हेतु ग्राम सिसौना मु0, परगना भगवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार में कुल 0.2740 है0 भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्या–255 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (आयुर्वैदिक दवाइयों का निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है

.....2

अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि/भवन का उपयोग मात्र आयुर्वैदिक दवाइयों के उत्पादन हेतु ही किया जायेगा।

8– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्यानिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीड़ा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– प्रस्तावित उद्यम में विनिर्मित किये जाने वाले उत्पाद आयुर्वैदिक दवाइया भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं सम्वर्धन विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–07.01.03 के अनुलग्नक–2 में दिये गये थ्रस्ट सेक्टर क्रिया कलापों में सम्मिलित हैं तथा इस उत्पाद के विनिर्माण हेतु घोषित औद्योगिक क्षेत्र से बाहर भी उद्योग स्थापना पर विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

10– प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

12– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

.....3

13– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

15– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–3372/संमदिनांकित/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश में औद्योगिक विकास विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3– सचिव, श्रम एव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– निदेशक, उद्योग, इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
6– श्री महताब आलम पुत्र स्व0 श्री अब्दुल जब्बार प्रोपराईटर मै0 इली फार्मास्यूटिकल्स नवासी 1 मिर्ची टोला पुल, काली नदी बुलन्दशहर।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
8– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।